

प्रेषक,

शिशिर सिन्हा,
 प्रधान सचिव।

सेवा में

सभी विभागीय प्रधान सचिव / सचिव,
 सभी प्रमंडलीय आयुक्त
 सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक- 16/6/14.

विषय:-

विभागीय पत्रांक 1293/आ0प्र0 दिनांक-17.04.2012 द्वारा संसूचित वर्ष 2010-15 तक के लिए दिनांक-01.04.2012 से प्रभावी भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को भारत सरकार द्वारा (SDRF/NDRF) निर्धारित साहाय्य मानदर में संशोधन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 32-7/2011-एन0डी0एम0-I दिनांक- 16.01.2012 द्वारा राज्य आपदा रिस्पॉंस कोष/नेशनल डिजास्टर रिस्पॉंस फंड के व्यय हेतु संसूचित मानदर को दिनांक-19.03.2012 को संपन्न राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदन के पश्चात विभागीय पत्रांक 1293/आ0प्र0 दिनांक-17.04.2012 द्वारा दिनांक-01.04.2012 के प्रभाव से राज्य में लागू किया गया है। भारत सरकार के पत्रांक 32-3/2013-एन0डी0एम0-I दिनांक-21.06.2013 द्वारा मानदर के मद संख्या-1 (e), 5 (i), B (a) & (b) and 5 (ii), 6 (ii) & (iii) एवं 9 (a) (i) को संशोधित किया गया है। उक्त संशोधन को विभागीय पत्रांक 4154/आ0प्र0 दिनांक-18.09.2013 द्वारा दिनांक-15.08.2013 के प्रभाव से राज्य में लागू करने हेतु संसूचित किया गया है।

पुनः गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 32-3/2013-एन0डी0एम0-I दिनांक-28.11.2013 द्वारा मकान/आवास (Housing) से संबंधित पूर्व में संसूचित मानदर के कम/मद संख्या-9 (क) पूर्णतया क्षतिग्रस्त कच्चा मकान, 9 (ख) अत्यधिक क्षतिग्रस्त पक्का/कच्चा मकान, 9 (ग) आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्का/कच्चा मकान, 9 (घ) क्षतिग्रस्त/बर्बाद झोपड़ी एवं 9 (ङ) मकान के साथ संलग्न पशु-शेड हेतु निर्धारित मानदर को संशोधित किया गया है। भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा किये गये संशोधन को दिनांक-18.02.2014 को संपन्न राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में उक्त संशोधन को राज्य में दिनांक-01.03.2014 के प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया गया है। यह मानदर दिनांक-01.03.2014 तथा उसके उपरांत घटित प्राकृतिक आपदाओं के लिए लागू होगा :-

भारत सरकार के पत्र सं0- पत्र सं0-32-3/2013/एन0डी0एम0-1 दिनांक-28.11.2013 द्वारा मकान/आवास (Housing) से संबंधित अद्यतन संशोधित मानदर/ **Norms of Assistance**

क्र0 सं0	मद का नाम/ITEM	भारत सरकार के पत्र सं0-32-3/2013/एन0डी0एम0-1 दिनांक- 28.11.2013 द्वारा अद्यतन संशोधित मानदर/ Norms of Assistance	अभ्युक्ति
9.	HOUSING/ अवास/मकान		
	a) Fully damaged/ destroyed houses		
	i) Pucca house	Rs. 70,000/- per house in Plain areas. Rs. 75,000/- Per house, in hilly areas	

		including Integrated Action Plan (IAP) districts.	
	ii) Kutcha House	₹17,600.000/- per house	
	(क) पूर्णतया क्षतिग्रस्त मकान		
	(i) पक्का मकान	₹ 70,000/- प्रति मकान मैदानी क्षेत्रों के लिये ₹ 75,000/- प्रति मकान पहाड़ी क्षेत्रों के लिये, आई०ए०पी० जिलों सहित	
	(ii) कच्चा मकान	₹ 17,600,000/- प्रति मकान	
	b) Severely damaged houses		
	i) Pucca House	₹12,600/- per house	
	ii) Kutcha House	₹ 3,800/- per house	
	(ख) अत्यधिक क्षतिग्रस्त मकान		
	(i) पक्का मकान	₹ 12,600/- प्रति मकान	
	(ii) कच्चा मकान	₹ 3,800/- प्रति मकान	
	(c) Partially Damaged Houses		
	i) pucca (other than huts) where the damage is at least 15 %	₹ 3,800/- per house	
	ii) kutcha (other than huts) where the damage is at least 15 %	₹ 2,300/- per house	
	(ग) आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान		
	(i) पक्का (झोपड़ी को छोड़कर) जहाँ मकान की क्षति न्यूनतम 15% हो ।	₹ 3,800/- प्रति मकान	
	(ii) कच्चा (झोपड़ी को छोड़कर) जहाँ मकान की क्षति न्यूनतम 15% हो ।	₹ 2,300/- प्रति मकान	
	d) Damaged / destroyed huts:	Rs. 3,000/- per hut, (Hut means temporary, make shift unit, inferior to Kutcha house, made of thatch, mud, plastic sheets etc. traditionally recognized as hut by	

	the State/ District authorities.)	
	Note: -The damaged house should be an authorized construction duly certified by the Competent Authority of the State Government	
(घ) क्षतिग्रस्त / बर्बाद झोपड़ी	₹ 3,000/- प्रति झोपड़ी (झोपड़ी का मतलब— अस्थायी, बनाकर हटाने वाल ईकाई, कच्चा मकान का आंतरिक भाग, फूस, गीली मिट्टी, प्लास्टिक शीट्स से बना राज्य/ जिला के अधिकारियों द्वारा पारंपरिक रूप से दिखने, पहचानने और जानने योग्य झोपड़ी है) टिप्पणी: क्षतिग्रस्त मकान राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित रूप से प्रमाणित एक प्राधिकृत संरचना होनी चाहिए।	
e) Cattle shed attached with house	₹1,500/- per shed.	
(ङ) घर के साथ संलग्न पशु शेड	₹ 1,500/- प्रति पशु शेड	

विभागीय पत्रांक 1293/आ0प्र0 दिनांक-17.04.2012 एवं 4154 दिनांक-18.09.2013 द्वारा संसूचित साहाय्य मानदर के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

विश्वासभाजन

(शिशिर सिन्हा)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1प्रा0आ0-36/2002²⁰⁶⁶/आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-18/6/14
प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1प्रा0आ0-36/2002²⁰⁶⁶/आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-18/6/14
प्रतिलिपि: मुख्य सचिव/ विकास आयुक्त बिहार/ प्रधान सचिव, वित्त विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1प्रा0आ0-36 / 2002.....²⁰⁶⁶ / आ0प्र0,

पटना-15, दिनांक-

16/6/14

प्रतिलिपि: उप सचिव, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन डिविजन), भारत सरकार, नई दिल्ली (टेली फैक्स-23438123) को उनके पत्रांक 32-3 / 2013 एन0डी0एम0-1 दिनांक-28.11.2013 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1प्रा0आ0-36 / 2002.....²⁰⁶⁶ / आ0प्र0,

पटना-15, दिनांक-

16/6/14

प्रतिलिपि: उपाध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पंत भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1प्रा0आ0-36 / 2002.....²⁰⁶⁶ / आ0प्र0,

पटना-15, दिनांक-

16/6/14

प्रतिलिपि: माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव / मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव